भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

<u>लोक सभा</u>

<u>अतारांकित प्रश्न सं. 2079</u>

(जिसका उत्तर सोमवार, 08 मार्च, 2021/17 फाल्गुन, 1942 (शक) को दिया जाना है)

"कोयला तथा लिग्नाइट पर उपकर"

2079. श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कोयला तथा लिग्नाइट पर लगने वाले उपकर की दर निर्धारित करने हेतु राज्य सरकारों को एक तंत्र विकसित करने की अनुमति प्रदान की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ग): जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर की दरों को जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर अधिसूचित किया जाता है। इस परिषद् में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। कोयले और लिग्नाइट पर 400 रू. प्रति टन की दर से जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर लगाया जाता है।

*****